तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
30.01.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी संख्या 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 की तलबी मूल वाद में पूर्ण हो चुकी है, बावजूद सूचना के अनुपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आइंदा 09.02.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
09.02.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि ग्राम कुलथ तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 607/477 रकबा 4-2087 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है, जिस पर पक्षकार बाहमी तौर से बंटवाड़ा कर अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से विप्रार्थी बिना विभाजन करवाये भूमि को अजनबी क्रेतागण को बेचान कर प्रार्थी द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि पर जबरन काबिज करने पर उतारू है। ... इस मकसद में कामयाब ... अपूरणीय क्षति होगी। ... एवं अपने हिस्से से प्रथम दृष्टया प्रकरण ... से सुविधा ... भूमि पर काबिज है। अतः न्यायालय भी उसी के पक्ष में है। तर्फेसला मूलवाद द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन कन्फर्म किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:33:41 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 2 की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है और विभाजन नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का विवादित भूमि के प्रत्येक इंच पर कानूनन हक होता है। अतः अन्तरिम स्थगन मय खर्चे खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। भूमि के पर्टीकुलर हिस्से का निर्धारण वाद के विधिवत सुनवाई के बाद पारित निर्णय से होगा। प्रार्थी का यह कथन सही है कि कोई सहखातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी का हिस्सा विशेष पृथक से बेचान नहीं कर सकता किन्तु अपने हिस्से की सीमा तक संयुक्त खातेदारी में भूमि का विभाजन या अन्य विधि से हस्तान्तरण करने से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। मूल वाद के पत्रावली [illegible] संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:33:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना